साथ ही आवश्यक सेवाओं के निष्पादन में मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के जो अधिकारी, कर्मचारी एवं वाहन लगे हुए हैं उनको भी न रोकों जाए।

इस विषय में आप कृपया अपने जनपद की मण्डो समितियाँ के अधिकारियों एवं सम्बन्धित व्यापारियों से समन्वय कर ऐसी व्यवस्था को बनाने का कष्ट करें जिससे फल एवं सर्व्या जेसी आवश्यक वस्तुओं के व्यापार से सम्बन्धित प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मानको का पालन करते रहे एव मोबाइल वाहनों / ठेला गाडियों के माध्यम सं भी जनसामान्य को आदश्यक दस्तुए प्राप्त हो सके। इससे लोगों को आवश्यक उपयोग की वस्तुए उनके घर के निकटतम उपलब्ध हो सकेंगी और मण्डियों एवं बाजारों में होने याली अनावश्यक भीड़ से भी बचा जा सकेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार जनहित में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। संलग्नक—यथोक्त।

संख्या एवं दिनाक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित-

- 1. मुख्य सचिव उ०प्र० शासनः।
- अपर मुख्य सचिव. गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमत्री, उ०प्र० शासन।
- पुलिस महानिदेशक, लखनऊ।
- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- खाद्य आयुक्त, उ०प्र०।
- निदेशक, मण्डी परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्त निर्देशों को सभी मण्डी परिषद और मण्डी समितियों के अधिकारियों को अनुपालन कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।